बरौनी उर्वरक कारखाने से यूरिया की चोरी

1283. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :**
डा० बापू कालदाते :
डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 18 दिसम्बर, 1985 को कुछ संसद सदस्यों ने पत्र लिखकर बरौनी उर्वरक कारखाना, बिहार में ग्यारह हजार टन यूरिया की चोरी करके इसे अवैध रूप से बेचने के संबंध में ध्यान आकर्षित किया है; और

(ख) यदि हां, तो मामले में की गई जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) इस सदन के एक माननीय सदस्य ने कथित चोरी की ओर ध्यान आकर्षित किया था ;

(ख) निगम के प्रबन्ध में एक विशेष समिति गठित की है जो मामले की जांच पड़ताल कर रही है।

टाइप-VIII के बंगलों में रहने वाले संसद सदस्य और सरकारी अधिकारी

1284. **श्री रामचन्द्र विकल :**
चौधरी राम सेवक :
श्री शान्ति त्यागी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ संसद सदस्य और सरकारी अधिकारी इस समय टाइप-VIII के बंगलों में रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो संसद सदस्यों के नाम और अधिकारियों के नाम तथा पद-नाम क्या-क्या हैं और वे किन-किन मंत्रालयों में कार्यरत हैं, उनके नाम क्या हैं और प्रत्येक मामले में आबंटित बंगले का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) संसद सदस्यों और अधिकारियों को ये बंगले किस-किस तारीख को आबंटित किए गए थे और किस आधार पर ये बंगले आबंटित किए गए थे ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) संलग्न विवरणानुसार।

(ग) आवंटन की तारीखें संलग्न विवरण में दी गई हैं। (नीचे देखिये)

अधिकतर मामलों में संसद सदस्यों के सम्बन्ध में टाइप-VIII के बंगलों का आवंटन उन्हें तब किया गया था जब वे मंत्रियों की केन्द्रीय परिषद् में मंत्री थे, परन्तु मंत्री के पद भार से हटने के बाद भी उन्होंने बंगलों को अपने दखल में रखे रखा। अपनी पात्रता के छोटे मकानों में जाने तथा कब्जे में टाइप-VIII के बंगलों को खाली करने का उनसे अनुरोध किया गया है। तथापि, कुछ मामलों में संसद सदस्यों को टाइप-VIII के बंगलों का आबंटन सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर उनके राजनैतिक दलों के नेता, संसद में संसदीय पार्टियों के नेता होने के कारण तथा राजनैतिक पार्टियों के लिए कार्यालय वास आदि-आदि की आवश्यकताओं जैसे विभिन्न विचारों पर किया गया था। जहां तक सरकारी अधिकारियों को टाइप-VIII के बंगलों के आवंटन का सम्बन्ध है, समय-समय पर यथा संशोधित सरकारी आवास, (दिल्ली में सामन्य पूल) नियम 1963 के अनुसार जिन अधिकारियों की परिलब्धियां 3,000 रुपये प्रतिमास और उससे अधिक हैं, व टाइप-VIII आवास के आवंटन के पात्र हैं। क्योंकि जिन अधिकारियों के नाम विवरण में दिए गए हैं उन सबकी परिलब्धियां 3000 रुपये और उससे अधिक थीं, इसलिए उन्हें सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से टाइप-VIII के बंगलों का आवंटन किया गया था।

विवरण

सामान्य पूल के टाइप--VIII के बंगलों में रहने वाले संसद सदस्यों/अधिकारियों का ब्यौरा

क्र० सं०	आवंटी का नाम	बंगला संख्या	आवंटन की तारीख
1	2	3	4
	श्री/सर्वश्री		
1	सी० पी० एन० सिंह, संसद सदस्य (लोक सभा)	2 अकबर रोड	13-3-80
2	श्रीमती नाजमा हेपतुल्ला, संसद सदस्य (राज्य सभा)	4 अकबर रोड	3-7-85
3	टी० अंजैया, संसद सदस्य (लोक सभा)	10 अकबर रोड	14-3-85
4	ए० पी० शर्मा, संसद सदस्य (राज्य सभा)	17 अकबर रोड	17-2-80
5	चन्दु लाल चन्द्राकर, संसद सदस्य (लोक सभा)	22 अकबर रोड	10-6-80
6	जी० के० मूपनार, संसद सदस्य (राज्य सभा)	24 अकबर रोड	24-8-78
7	वासुदेव आचार्य, संसद सदस्य (लोक सभा)	4 अशोक रोड	11-6-85
8	श्रीमती शीला कौल, संसद सदस्य (लोक सभा)	5 अशोक रोड	29-10-80
9	भागवत झा आजाद, संसद सदस्य (लोक सभा)	7 अशोक रोड	26-7-80
10	श्रीमती एम० चन्द्रशेखर, संसद सदस्य (लोक सभा)	8 अशोक रोड	17-8-74
11	श्रीमती रोड़ा मिस्त्री, संसद सदस्य (लोक सभा)	21 अशोक रोड	6-5-80
12	वी० एन० पाटिल, संसद सदस्य (लोक सभा)	23 अशोक रोड	9-7-80
13	एन० के० पी० साल्वे, संसद सदस्य (राज्य सभा)	32 औरंगजेब रोड	6-1-83
14	कल्पनाथ राय, संसद सदस्य (राज्य सभा)	36 औरंगजेब रोड	13-4-82
15	ए० एस० चौधरी, संसद सदस्य (राज्य सभा)	1 सरकुलर रोड	9-7-80
16	श्रीमती माधुरी सिंह, संसद सदस्य (लोक सभा)	4 सरकुलर रोड	31-1-80
17	राम चन्द्र विकल, संसद सदस्य (राज्य सभा)	5 डुप्ले रोड	अनधिकृत दखल में
18	अशोक गहलोत, संसद सदस्य (लोक सभा)	1 डूप्ले रोड	24-2-83
19	नवल किशोर शर्मा, संसद सदस्य (लोक सभा)	3 कृष्ण मेनन मार्ग	21-3-85
20	जगजीवन राम, संसद सदस्य (लोक सभा)	6 कृष्ण मेनन मार्ग	2-3-67
21	दरबारा सिंह, संसद सदस्य (राज्य सभा)	9 कृष्ण मेनन मार्ग	10-1-84
22	वीरसैन, संसद सदस्य (लोक सभा)	4 जन्तर मन्तर रोड	9-5-85
23	राव वीरेन्द्र सिंह, संसद सदस्य (लोक सभा)	5 जनपथ	30-1-80
24	कमलापति त्रिपाठी, संसद सदस्य (राज्य सभा)	9 जनपथ	28-1-74
25	जगन्नाथ राव, संसद सदस्य (लोक सभा)	3 मोती लाल नेहरू मार्ग	14-5-67
26	डा० ए० के० पटेल, संसद सदस्य (लोक सभा)	6 रायसीना रोड	1-1-85

1	2	3	4
27	सी० माधव रेड्डी, संसद सदस्य (लोक सभा)	7 रायसीना रोड	31-5-85
28	पी० सी० सेठी, संसद सदस्य (लोक सभा)	7 सफदर जंग रोड	5-2-80
29	श्रीमती गुरु बृजेश कौर, संसद सदस्य (लोक सभा)	19 सफदर जंग रोड	2-2-80
30	एस० एम० महालाल, संसद सदस्य (राज्य सभा)	2 सफदर जंग लेन	5-8-80
31	आरिफ मोहम्मद खान, संसद सदस्य (लोक सभा)	3 सुनहरी बाग रोड	22-3-82
32	वीरेन्द्र पाटिल, संसद सदस्य (लोक सभा)	2 तुगलक रोड	18-3-80
33	कमल नाथ, संसद सदस्य (लोक सभा)	7 तुगलक रोड	12-3-80
34	चरण सिंह, संसद सदस्य (लोक सभा)	12 तुगलक रोड	26-8-78
35	जगन्नाथ कौशल, संसद सदस्य (लोक सभा)	15 तुगलक रोड	2-2-82
36	दिनेश सिंह, संसद सदस्य (लोक सभा)	1 त्याग राज मार्ग	3-3-65
37	श्रीमती कृष्णा कौल, संसद सदस्य (राज्य सभा)	1 तीन मूर्ति लेन	10-9-84
38	बलबीर सिंह, संसद सदस्य (लोक सभा)	8 तीन मूर्ति मार्ग	14-1-85
39	बी० एम० मोहन्ती, संसद सदस्य (लोक सभा)	19 तीन मूर्ति मार्ग	2-2-82
40	एम० सी० भण्डारे, संसद सदस्य (राज्य सभा)	12 विलिंगडन क्रिसेंट	12-8-80
41	वी० सी० शुक्ला, संसद सदस्य (लोक सभा) अध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा और खेल कूद का राष्ट्रीय संस्थान	1 विलिंगडन क्रिसेंट	30-9-80
42	रोमेश भण्डारी, विदेश सचिव	18 अकबर रोड	21-10-80
43	टी० एन० चतुर्वेदी, नियन्त्रक महालेखा परीक्षक	9 अशोका रोड	10-4-85
44	ए० पी० वेंकटेश्वरन, सचिव, विदेश मंत्रालय	3 सरकुलर रोड	13-3-85
45	एम० के० बनर्जी, भारत के अपर महान्यायवादी	8 कृष्ण मेनन मार्ग	10-9-79
46	रमेश चन्द्र, सचिव, शहरी विकास मन्त्रालय	10 कृष्ण मेनन मार्ग	11-5-85
47	के० पारशरण, भारत के महान्यायवादी	10 मोतीलाल नेहरू मार्ग	8-5-80
48	श्रीमती पुपुल जयकर, सलाहकार हथकरघा और हैण्डीक्रफ्ट्स	11 सफदर जंग रोड	12-8-80
49	एच० ए० बरारी, निदेशक, आसूचना ब्यूरो	9 तुगलक रोड निदेशक आसूचना के पद के पदधारी के लिए उद्दिष्ट	17-1-85
50	एस० के० भटनागर, सचिव, रक्षा मंत्रालय	4 तीन मूर्ति मार्ग	10-11-84
51	एम० हैदर, प्रोटोकोल प्रमुख विदेश मंत्रालय	18 विलिंगडन क्रिसेंट (प्रोटोकोल प्रमुख के लिये उद्दिष्ट मकान)	15-2-86
52	जी० सी० सक्सेना, भूतपूर्व निदेशक अनुसंधान विश्लेषण विंग	2 तुगलक रोड (निदेशक अनुसंधान विश्लेषण विंग के लिये उद्दिष्ट मकान)	1983